

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 05.10.2018

:: आदेश ::

श्री अमिताभ सिंह, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जालौर की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

आज्ञा से




(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशेषाधिकारी, माननीय विधि राज्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालौर।
9. जिला कलक्टर, जालौर को प्रेषित कर लेख है कि लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जालौर के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 3 अधिकतम सम्भवतः 5 योग्य अभिभाषकों का पैनल श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के परामर्श उपरान्त अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
10. कोषाधिकारी, जालौर।
11. संबंधित अभिभाषक।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. लेखाधिकारी, वादकरण।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
15. रक्षित पत्रावली।


05/10/2018

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण